



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 510/अका./वि.प.स्थायी समिति/2020

रायपुर, दिनांक 16.10.2020

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 16.10.2020 को मध्याह्न 12.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. कल्लोल कुमार घोष	–	सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव	–	सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के सुरेश	–	सदस्य
5. डॉ. संजय कुमार	–	सदस्य
6. डॉ. एस.के. जाधव	–	सदस्य
7. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा	–	सदस्य
8. डॉ. गिरीशकान्त पाण्डेय, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

कार्यवृत्त :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : (1) विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 में विषय क्र. 4 में शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर में संचालित M.Sc. Maths के लिए 5 सीट वृद्धि (30+5= 35 Seat) मान्य किया गया।

(2) विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 में विषय क्र. 3(xi) में नवीन अशासकीय महाविद्यालय- विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस (कॉलेज डिवीजन), रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर में बी.बी.ए. प्रथम वर्ष में अध्यादेश क्रमांक-91 के अनुसार 60 सीट के स्थान पर 40 सीट किए जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त निर्णय मान्य करते हुए दिनांक 09.09.2020 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला-रायपुर	B.Sc.-I (Bio.)	30	2020-21
		B.Sc.-I (Maths)	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई। इण्डोमेंट फण्ड के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए।				
(ii)	शास. महाविद्यालय, लवन, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा	B.A.-III Sociology	60	2020-21
		B.A.-III History	60	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
(iii)	यशवंत राव मेघावाले शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी	M.A.- I/II Sem. Sociology	20	2020-21
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
(iv)	शास. काव्योपाध्याय हिरालाल महावि. अभनपुर, जिला-रायपुर	B.Sc.-I- Computer Sc.	40	2020-21
		M.Sc.- I/II Sem. Botany	20	
		M.Com.- I/II Sem.	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
(v)	शास. नवीन महाविद्यालय, गुढ़ियारी रायपुर	B.A.-III- Geography, Political, Economic	90	2020-21
		B.A.-I- Sociology	40	
		B.Com. -III- All Compulsory Subject	90	
		B.Sc.-III- Physics, Chemistry, Maths	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				
(vi)	शास. नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी	PGDCA- Computer Sc.	20	2020-21
		M.A.-I/II Sem. Political Sc.	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				

4. Bachelor of Library & Information Science, Master of Library & Information Science उपाधि प्रोफार्मा का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 17.05.2019 में विषय क्रमांक 5 में लिए गए निर्णय में "NAAC Accreditation 'A' को विलोपित कर" को विलोपित करते हुए Bachelor of Library & Information Science, Master of Library & Information Science के उपाधि प्रोफार्मा की अनुशंसा की गई।

5. सत्र 2020-21 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक सम्बद्धता एवं संबद्धता वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	डॉ. भीमराव अम्बेडकर शास. महाविद्यालय, बलौदा, जिला-महासमुंद
2	फणीकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय, फिरोश्वर, जिला-गरियाबंद
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	विवेकानंद महाविद्यालय, के.के. रोड, मौदहापारा, रायपुर
2	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर

निर्णय: उपरोक्त महाविद्यालय को वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
(i)	शासकीय नवीन महावि. वटगन, जिला-बलौदाबाजार -भाटापारा	B.Sc.-III- Bio Group- Chemistry, Botany, Zoology	90	2020-21
		B.A.-III- F.C. (Hindi, English), Political Sc., Geography, Hindi Litt., Economics	90	
		B.Com.-III- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				

2. शास. खे.ल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुंद की सत्र 2019-20 से सीट वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. एफ 3-27/2019/38-1 दिनांक 08.08.2019 के द्वारा शास. खे.ल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुंद में निम्नानुसार सीट वृद्धि सत्र 2019-20 से प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई -

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम	पूर्व सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1	बी.ए. प्रथम	215	35	250
2	बी.ए. द्वितीय	215	35	250
3	बी.ए. तृतीय	215	35	250
4	बी.एस-सी. प्रथम	60	30	90
5	बी.एस-सी. द्वितीय	60	30	90
6	बी.एस-सी. तृतीय	60	30	90
7	एम.ए. पूर्व हिंदी	25	5	30
8	एम.ए. पूर्व राजनीतिशास्त्र	25	5	30

3. शोध आवेदक के शोध निर्देशक के सेवानिवृत्ति उपरांत छात्र के पंजीयन प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय: शिक्षा विषय एवं राजनीतिविज्ञान विषय में शोध-निर्देशक डॉ. शोभा पुरकर, कल्याण महाविद्यालय, भिलाई नगर दिनांक 01 नवंबर, 2019 को एवं डॉ. डी.एन. सूर्यवंशी, सेठ आर.सी. एस. महाविद्यालय, दुर्ग दिनांक 01 जनवरी, 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। शोध-उपाधि समिति की बैठक अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाई थी। छात्रहित में इनके अधीन छात्रों के पूर्व से लंबित पंजीयन प्रकरणों को विशेष प्रकरण के रूप में शोध-उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ। भविष्य में ऐसे प्रकरणों में निर्णय लिए जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किए जाने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

1. पी-एच.डी. शोध उपाधि समिति एवं मौखिकी परीक्षा के लंबित प्रकरणों में बाह्य विशेषज्ञों को यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : पी-एच.डी. शोध उपाधि समिति की विभिन्न विषयों की बैठकें तथा पी-एच.डी. मौखिकी परीक्षा कोविड-19 के कारण अत्यंत विलंबित होने के कारण RDC की बैठकों एवं पी-एच.डी. मौखिकी हेतु आने वाले बाह्य विशेषज्ञों को कुलपति जी के अनुमति से हवाई यात्रा हेतु दी जा रही अनुमति के लिए 15 दिवस के अंतराल की सीमा को शिथिल करने की अनुशंसा की गई।

2. साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला में डिप्लोमा इन यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस के अंतर्गत सिंधी लैंग्वेज में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार करना।

निर्णय : साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला में डिप्लोमा इन यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस के अंतर्गत सिंधी लैंग्वेज में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई एवं भाषाविज्ञान अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

3. विश्वविद्यालय वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा 2020 में संलग्न शिक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान विषयक।

निर्णय : कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति में जिन वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा 2020 स्नातक स्तर के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा के स्थान पर Assignment कार्य निर्देशानुसार महाविद्यालय स्तर पर लिया जा रहा है उस Assignment कार्य के लिए मूल्यांकनकर्ता को प्रति उत्तरपुस्तिका राशि रूपए 07 (रूपए सात मात्र) पारिश्रमिक दर निर्धारित करने की अनुशंसा की गई। यह केवल सत्र 2019-20 के लिए लागू होगा।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 511/अका./वि.प.स्थायी समिति/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 16.10.2020

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।

16.10.20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका)